बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–बैठक–51/2016–Part-II- 1845 (मो०) /पटना, दिनांक–25/9/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ...।

सभी अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, ...।

सभी मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, ...।

विषयः–जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं का सर्वेक्षण/रूपांकण एवं डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महाशय,

जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं का सर्वेक्षण/रूपांकण एवं डी0पी0आर0 विभागीय स्तर के अतिरिक्त एजेंन्सी के माध्यम से तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश तैयार किया गया है।

निदेशानुसार उक्त दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि इस दिशा–निर्देश के अनुसार योजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
25/9/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\SEP-20\GUIDLINE-OF DPR-25-09-2020.DOCX

25/9/20

जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं का सर्वेक्षण, रूपांकण एवं DPR तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश।

दिनांक–23.09.2020 को सचिव, लघु जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में Video Conferencing के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक हुई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समय–सीमा के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर के अतिरिक्त एजेन्सी के माध्यम से भी DPR तैयार कराया जाय। एजेन्सी द्वारा योजनाओं का सर्वेक्षण कर DPR तैयार करना तथा Check Dam/Weir योजना का रूपांकण कार्य भी किया जायगा।

कनीय अभियन्ताओं की उपलब्धता के अनुसार आहर/पईन तथा तालाब योजनाओं का DPR विभागीय स्तर पर भी तैयार किये जायेंगे।

विभागीय स्तर एवं एजेन्सी के माध्यम से DPR तैयार करने के लिए निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाते हैं–

(1) विभागीय स्तर पर DPR तैयार करना–

कनीय अभियन्ता का दायित्व–

प्रत्येक कनीय अभियन्ता प्रत्येक माह कम–से–कम 10 (दस) योजनाओं का DPR तैयार करेंगे।

सहायक अभियन्ता का दायित्व–

सहायक अभियन्ता DPR के प्रावधानों की जांच करेंगे तथा अनुसूचित दर के आधार पर DPR तैयार करवायेंगे।

कार्यपालक अभियन्ता का दायित्व–

कार्यपालक अभियन्ता प्रतिदिन DPR की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा DPR तकनीकी अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियन्ता को अग्रसरित करेंगे एवं विभाग को भी इसकी सूचना देंगे। कार्यपालक अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु योजनाओं की सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा जिलास्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व–

अधीक्षण अभियन्ता प्रत्येक सप्ताह कार्यपालक अभियन्ताओं से DPR की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा उनसे प्राप्त DPR की जांच कर 70 लाख रूपये तक की योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन देकर विभाग को उपलब्ध करायेंगे। 70 लाख रूपये से अधिक लागत की योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन हेतु मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी सूचना भी विभाग को देंगे।

मुख्य अभियन्ता का दायित्व–

मुख्य अभियन्ता प्रत्येक सप्ताह अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त DPR का तकनीकी अनुमोदन देकर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि वे इसकी समीक्षा करें कि योजनाओं की अनुशंसा जिला–स्तरीय समिति से प्राप्त है अथवा नहीं ?

(2) एजेन्सी द्वारा योजनाओं का **DPR** तैयार करना–

(i) कनीय अभियन्ताओं से तैयार होने वाले DPR से अतिरिक्त योजनाओं का DPR एजेन्सी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ii) एजेन्सी द्वारा योजनाओं का सर्वेक्षण कर DPR तैयार किया जायगा। Weir तथा Check Dam योजनाओं का रूपांकण भी एजेन्सी द्वारा ही किया जायगा। छोटे–छोटे नालों/आहर एवं पईन में निर्मित होने वाले संरचनाओं का Vetting सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता करेंगे। नदियों में निर्मित होने वाले संरचनाओं का Vetting अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण करेंगे।

(iii) सर्वेक्षण, रूपांकण एवं DPR कार्य के लिए एजेन्सी को प्रत्येक योजना के लिए अधिकत्तम देय दर निम्नवत् होगी–

क्र0 सं0	योजना का नाम	सर्वेक्षण कार्य (रूपये में)	रूपांकण कार्य (रूपये में)	**DPR** तैयार करना (रूपये में)	कुल (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	तालाब	2000.00	----	3000.00	5000.00
2.	आहर/पईन	1000.00 प्रति किलोमीटर	----	5000.00	1000.00 x L +5000.00 (Where L is Length of Pyne in km.)
3.	गारलैंड ट्रेंच	3000.00	----	3000.00	6000.00
4.	चेक डैम	2000.00	5000.00	5000.00	12000.00
5.	वीयर/स्लूईस गेट	2000.00	10000.00	5000.00	17000.00

सभी योजनाओं का DPR तैयार करने की समय–सीमा 31 अक्टूबर 2020 होगी। सर्वेक्षण एवं योजनाओं का DPR तैयार करने के लिए प्रमण्डलों के अन्तर्गत योजनाओं की सम्भावित संख्या के अनुसार व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवा में बजट उपबंध के अन्तर्गत निम्नांकित आवंटन दिया जा सकता है–

क्र0 सं0	जिला का नाम	आवंटन की राशि (लाख रूपये में)	अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	पटना	1.00	
2.	नालन्दा	1.00	
3.	औरंगाबाद	1.00	
4.	रोहतास (सासाराम)	1.00	
5.	कैमूर (मोहनिया)	1.00	
6.	आरा (भोजपुर)	1.00	
7.	बक्सर	0.50	

8.	गया	1.00	
9.	जहानाबाद	1.50	
10.	अरवल	1.00	
11.	नवादा	1.00	
12.	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	0.50	
13.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	0.50	
14.	सीतामढ़ी	0.75	
15.	शिवहर	0.00	
16.	हाजीपुर (वैशाली)	0.50	
17.	मुजफ्फरपुर	1.00	
18.	समस्तीपुर	0.75	
19.	दरभंगा	1.00	
20.	मधुबनी	0.75	
21.	छपरा (सारण)	0.50	
22.	सिवान	0.50	
23.	गोपालगंज	0.50	
24.	भागलपुर	1.00	
25.	बाँका	1.00	
26.	मुंगेर	0.50	
27.	शेखपुरा	0.50	
28.	लखीसराय	0.50	
29.	जमुई	1.00	
30.	बेगूसराय	0.50	
31.	खगड़िया	0.50	
32.	सहरसा	0.50	
33.	मधेपुरा	0.50	
34.	सुपौल	0.00	
35.	अररिया	0.50	
36.	पूर्णियां	0.50	
37.	कटिहार	0.50	
38.	किशनगंज	0.00	
	कुल–	**26.25**	

604

DPR तैयार करने में आवंटित राशि से यदि अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है तो उसे योजना की आकस्मिकता मद से भारित किया जायेगा।

24/09/2020

(शम्भू कुमार राय),
अधीक्षण अभियन्ता, (मु0),
रूपांकण/अन्वेषण/गुण नियंत्रण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

24/9/2020

(रंजीत कांत गुप्ता),
अधीक्षण अभियन्ता, (मु0),
योजना एवं स्थापना,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

24/9/2020

(रवीन्द्र कुमार सिंह),
अधीक्षण अभियन्ता, (मु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

24/9/20

(नरेन्द्र कुमार),
मुख्य अभियन्ता,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

24/9/2020

(विन्देश्वर राम),
मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।

24/9/20

(श्रीमती गीता सिंह),
आंतरिक वित्तीय परामर्शी,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना।